Letter No.; NGT- 479/81-7-2022

From,

Om Prakash,
Under Secretary,
Environment, Forest & Climate Change,
Government of Uttar Pradesh

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Environment, Forest & Climate Change Section-7 **Lucknow : dated : 05 / 12-/2022**

Sub: Response on behalf of State of Uttar Pradesh in Compliance to order dated 21.09.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 390/2022 Bunty Vs State of U.P..

Sir,

In compliance of order dated 21.09.2022 passed by this Hon'ble Tribunal in OA No. 390/2022 in the matter of Bunty Vs State of U.P. response on behalf of State of Uttar Pradesh is enclosed.

It is requested that the said response may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above

Your's Sincerely,

(Om Prakash)
Under Secretary.

Response on behalf of State of Uttar Pradesh in Compliance to order dated 21.09.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 390/2022 Bunty Vs State of U.P.

That in the captioned matter Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed directions vide its order dated 21.09.2022. The operative part of the direction is as follows:-

".....5. In view of the above, we consider it appropriate to seek response from (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) State PCB, (3) District Magistrate, Hathras and (4) M/s Yashoda Brick Kiln, Village Nagla Bari, Patti Devri, Hasayan, Post Purdilnagar, Tehsil Sikandra Rao, District Hathras who stand impleaded as respondents No. 1 to 4 and accordingly direct issuance of notices alongwith copies of the application and report of the Joint Committee to them by E-mail requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application and observations/recommendations made in the report of the Joint Committee within two months by judicialngt@gov.inpreferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The registry is directed to prepare and attach memo of parties with the paper book and issue notices to respondents no. 1 to 4 accordingly.....

8. List the matter for further consideration on 09.12.2022."

2. In compliance of the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi order dated 07-07-2022 in O.A. No. 390/2022 Bunty Vs State of U.P., the joint committee of the Officials of District Administration, Hathras and Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Aligarh visited the site on 01-09-2022. The inspection report and the action taken report was submitted to the Hon'ble, National Green Tribunal,. Principal Bench, New Delhi through E-mail dated 08-09-2022. The copy is enclosed as **Annexure-I**

3. Earlier Additional Chief Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh has issued directions vide letter no 582/81-7-2021-39(Parya)/2014 TC-1 dated 08.07.2021 to all DM, SSP, SP and Police

commissioner of Uttar Pradesh regarding effective actions against the defaulters brick kiln operator in the State. The Copy of the order enclosed as **Annexure-II**

4. That the matter relates to U.P. Pollution Control Board and the District Administration. The Government of U.P. has appropriately issued directions for required actions in this matter to the concerned agency and officers.

That it is further submitted that Government of Uttar Pradesh is committed, towards ensuring compliance of the orders of Hon'ble Tribunal.

The above response report is being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

LUCKNOW
DATED: 02/12/2022

(Om Prakash)
Under Secretary
Govt. of Uttar Pradesh

Annexure - I

मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2022 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय, हाथरस द्वारा गठित कमेटी दिनांक 26.08.2022 के अनुक्रम में सन्दर्भित ईंट भट्ठे का विस्तृत निरीक्षण आख्या:–

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2022 निम्वत् है:–

- "In view of the averments made in the application, it would be appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of State PCB, and District Magistrate, Hathras. State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.
- The Joint Committee shall meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite remedial action by following due process of law. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
- List the matter for further consideration on 21.09.2022.
- A copy of this order, along with a copy of the complaint, be forwarded to State PCB and District Magistrate, Hathras by e-mail for requisite.

उक्त आदेश के अनुकम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 01.09.2022 को किया गया। ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेश कुमार, चौकीदार उपस्थित थें। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठा मै0 जशोदा ईट उद्योग के नाम से वर्ष 2020 से श्री मोहित कुमार द्वारा संचालित किया जा रहा है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठे की स्थापना कार्य सितम्बर, 2020 में किया जाता हुआ पाया गया।
3. ईट भट्ठा द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
4. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग–3.0 मी0टन/दिन किया जाता है। कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग–30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित की गयी है।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
6. सन्दर्भित ईट भट्ठे के पूरव दिशा में बिहारी का नगला लगभग–1.0 कि0मी0, पश्चिम दिशा में लगभग–70 मी0 की दूरी पर पुरदिलनगर, हसायन सम्पर्क मार्ग तत्पश्चात् उसी दिशा में लगभग–500 मी0 दूरी पर गैस एजेन्सी एवं उसी दिशा में लगभग–2.5 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम–नगला बरी स्थित है। उत्तर दिशा में ग्राम–नगला उदिया लगभग–1.0 कि0मी0 तथा दक्षिण दिशा में लगभग–600 मी0 की दूरी पर माँ गंगा देवी महाविद्यालय एवं लगभग–800 मी0 की दूरी पर मूल चन्द्र महाविद्यालय एवं उसी दिशा में लगभग–1.0 मी0 की दूरी पर नगर पंचायत पुरदिलनगर स्थित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर ईंट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है।

7. मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, हसायन, पोस्ट–पुरदिलनगर, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या–40014421000054 दिनांक 03.01.2021 के माध्यम से प्राप्त हुई के सन्दर्भ में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 14.01.2021 को किया गया था। निरीक्षणोपरान्त ईंट भट्ठा का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप न पाये जाने की दशा में इस कार्यालय के पत्र संख्या–506 दिनांक 18.06.2021 के द्वारा विधिक/बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी है। तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच62624/सी–4/ईंट–528/बन्दी/2021 दिनांक 22.06.2021 एवं पत्र संख्या–एच63515 /सी–4/सामान्य–II–756/बन्दी/2021 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से ईंट भट्ठे को बन्दी आदेश जारी किये गये है। उक्त दोनों बन्दी आदेश वर्तमान में प्रभावी है।

8. मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, हसायन, पोस्ट–पुरदिलनगर, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त करने हेतु दिनांक 14.01.2021 को आनलाइन आवेदन किया गया था। आवेदन के सम्बन्ध में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 14.01.2021 को किया गया था। ईंट भट्ठा का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप न होने के कारण तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा इस कार्यालय के पत्र संख्या–118507 एवं 118508 दिनांक 27.01.2021 के माध्यम से आनलाइन आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया था।

9. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे के संचालन से उत्सर्जित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु पक्की चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग–30 मी0 पायी गयी है। निरीक्षण के समय चिमनी से उत्सर्जित फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढ़ी आदि व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।

10. ईंट भट्ठा स्वामी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर वाद मै0 जशोदा ईंट उद्योग बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य जो इस कार्यालय में दिनांक 30.09.2021 में प्राप्त हुआ था, के सम्बन्ध में आख्या कार्यालय के पत्र संख्या–1152 दिनांक 01.10.2021 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया गया।

11. ईंट भट्ठा को कार्यालय उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.04.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उक्त ईंट भट्ठा को दिनांक 12.04.2022 को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुक्रम में नायव तहसीलदार एवं पुलिस के साथ पूर्णतः बन्द करा दिया गया है (छायाप्रति संलग्न है)। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे के बन्दी आदेश एवं प्रशासन द्वारा बन्दी आदेश के अनुक्रम में की गयी बन्दी की कार्यवाही दिनांक 12.04.2022 के अनुक्रम में ईंट भट्ठा पूर्ण रूप से बन्द पाया गया।

12. बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच79862 दिनांक 17.08.2022 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–वायु अपील–09(1)/81–6–2022 दिनांक 04.08.2022 में ईंट भट्ठा स्वामी द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 16.07.2021 के विरूद्ध दायर अपील मै0 जशोदा ईंट उद्योग बनाम उ0प्र0 सरकार आदि के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1248 दिनांक 22.08.2022 के माध्यम से सन्दर्भित अपील की बिन्दुवार आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।

13. ईंट भट्ठा द्वारा दायर अपील में बोर्ड मुख्यालय से जारी बन्दी आदेश दिनांक 16.07.2021 का उल्लेख किया गया है। बोर्ड मुख्यालय द्वारा ईंट भट्ठा का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, जारी 27 जून, 2012 की गाइडलाइन के अनुरूप न होने के कारण दिनांक 22.06.2021 माध्यम से ईंट भट्ठे को भी बन्दी आदेश जारी किया गया है, उक्त दोनो आदेश वर्तमान में प्रभावी है।

14. ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.06.2021 एवं दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। ईंट भट्ठे द्वारा बन्दी आदेश प्रभावी होने के उपरान्त भी ईंट भट्ठे का संचालन ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दिनांक 01.03.2022 से किया जाना अवगत कराया गया, जिसे संचालन किये जाने पर कार्यालय, उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस द्वारा दिनांक 12.04.2022 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया। अतः दिनांक 01.03.2022 से दिनांक 12.04.2022 तक कुल 43 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 5,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या– 1334 दिनांक 05.09.2022 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

06.09.2022
(सतीश कुमार)
खान अधिकारी

(वेदसिंह-चौहान)
उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
सिकन्दराराऊ (हाथरस

Annexure -II

संख्या–582/81–7–2021–39(पर्या)/2014 टी0सी0–1

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– पुलिस आयुक्त,
गौतमबुद्ध नगर/लखनऊ/कानपुर/वाराणसी।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

3– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उ0प्र0।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक : 08 जुलाई, 2021

विषय–प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे ईंट भट्ठों से फैल रहे वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–970/81–7–2019–39(पर्या)/2014 टी.सी.–1, दिनांक 21.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वर्णित आदेशों के अनुपालन में अवैध ईंट भट्ठों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं ईंट भट्ठा संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा वाणिज्यकर के जिला स्तरीय कार्यालयों से परीक्षणोपरान्त ही अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स निर्गत किया जाना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के अतिरिक्त अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठो का संचालन निषिद्ध कराये जाने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ईंट भट्ठों के विरूद्ध बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत आदेश संख्या–303/81–7–2021–39(पर्या)/2014 टी0सी0–1, दिनांक 15.03.2021 द्वारा समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिये गये है।

CEO (C-6), Noida
Brick Kiln

2– अवगत कराना है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयारी की गयी इन्वेन्ट्री के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कुल 19395 ईंट भट्ठा उद्योग स्थापित है। ईंट भट्ठों की स्थापना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थलों पर सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–921/55–पर्या/12–(पर्या)–11 दिनांक 27.06.2012 द्वारा उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के नियम–3 में उपबन्धित है कि 'ईंट भट्ठा की फुंकाई के संबंध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी

08/07/2021

जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईंट भट्टा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गई हो"।

3- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0-3709(एम0बी0) /2010 दीनानाथ शुक्ला बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में ईंट भट्टों के संबंध में दिनांक 26.04.2010 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....We, therefore, decline to entertain the petition, as there is nothing on record to indicate that the brick kiln is runing or is likely to run without of obtaining the 'no objection certificate' from the U.P. Pollution Control Board and the necessary licence from the Zila Panchayat as argued by the counsel for the petitioner. It is for the district magistrate and the police to see that no brick kiln is allowed to run in the absence of 'no objection certificate, of the U.P. Pollution Control Board and necessary licence of the Zila Panchayat, including the present brick kiln and if any complaint is made in this regard or even if it comes to knowledge of the authorities otherwise, appropriate action has to be taken by the district authorities ....."

4- राज्य मे प्रवैधानिक रूप से संचालित हो रहे ईंट भट्ठों की सूची उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट (http://www.uppcb.com/status_brick_klin.htm) पर उपलब्ध है। अतः यह आवश्यक है कि ईंट भट्ठा संचालन हेतु अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले राज्य सरकार के समस्त विभाग ईंट भट्ठों को अग्रेतर संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/लाइसेंस/अनापत्ति तब तक जारी न करे जब तक ईंट भट्ठा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त न कर लें तथा ऐसे ईंट भट्ठें जिन्हें उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त नहीं हैं, उनका संचालन तत्काल प्रभाव से निषिद्ध किया जाये।

5- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण मे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन में अवैध ईंट भट्ठों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं ऐसे ईंट भट्ठें जिन्हें उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नही है, को संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म व वाणिज्य कर के जिला स्तरीय कार्यालयों से अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स निर्गत न किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-582(1)/81-7-2021-38(पर्या)/2014 टी0सी0-1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज/संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन/भूतत्व एवं खनिकर्म/गृह/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।